अल्प निविदा सूचना पुलिस विभाग आजमगढ ।

पुलिस विभाग आजमगढ में वित्तीय वर्ष 2016–2017 में उ0 प्र0 पुलिस यातायात प्रबन्ध निधि से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपद की यातायात व्यवस्था हेतु ड्रोन कैमरा की सम्पूर्ति/क्रय के लिए उ0 प्र0 सरकार से मान्यता प्राप्त फर्मो को आवश्यकतानुसार निम्नलिखित अंकित शर्तो के आधार पर इच्छुक ठेकेदारों से दिनांकः 08/03/ 2017 को समय 11.00 बजे से अपरान्ह 13.00बजे तक निम्न कार्य के लिए सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है जो पुलिस कार्यालय आजमगढ में रखें गये टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी :–

क0सं0	सामग्री/उपकरण/साइज	आवश्यकता की संख्या
1	ड्रोन कैमरा	01 अदद

MINIMUM SPECIFICATION FOR DRONE(UAV)

FLYING UNIT

1	Type	Hexacopter(with 6 arms)
2	Operating Flight Time	30 Minutes
3	Camera	12MP or above with Gimble stabilization
4	Operating Altitude	300mtrs. Above ground level

BASE UNIT

1	Display Device	Minimum 8 inch screen for live telecast and recording
2	Control Range	Minimum 3 kms line of sight
3	Control Device	Joystick Remote Control or Touch Pad Control
4	Map Tracking Features	Yes
5	Carrying Case	It should accommodate the flying unit and the base unit and should protect drone component in case of accidental falls.
6	Battery	One extra battery for backup provided by vendor.
7	Training	The vendor shall provide mandatory training to the concerned police personnel on operation and maintenance
8	A.M.C.	Minimum two years AMC shall be provided by the vendors.

नियम एवं शर्ते निम्नाकित हैः–

1–उक्त उपकरण का निर्धारित रूपरेखा पुलिस कार्यालय/यातायात कार्यालय आजमगढ में कार्य दिवस के दिन प्रातः10.00बजे से सायंकाल 05.00बजे तक देखे जा सकते है

2–टेण्डर मुहर बन्द लिफाफे में कार्य का नाम लिफाफे पर अंकित करके पुलिस कार्यालय में उक्त नियत तिथि को निर्धारित समय तक टेण्डर बाक्स में डाले जा सकते है। टेण्डर छपे फार्म पर लिखा होना आवश्यक है,जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से रू50प्रति फार्म के दर से निविदा के तिथि से एक दिन पूर्व प्राप्त किया जा सकता है।

3–निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय निविदा में अंकित धनराशि का 02प्रतिशत धनराशि (राउन्डफिगर में) अर्नेस्ट मनी नगद संलग्न किया जाना अनिवार्य है जिसका विवरण फार्म में अंकित किया जायेगा, बिना अर्नेस्ट मनी के काई टेण्डर स्वीकार नही किया जायेगा ।

4–निविदा कर्त्ता फर्म ठेकेदार निविदा फार्म के साथ सम्बन्धित फर्म आदि का आयकर/बिक्रीकर का प्रामण पत्र निविदा फार्म के साथ छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा । किसी भी निविदा का स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक आजमगढ के पास सुरक्षित रहेगा ।

5–पुलिस अधीक्षक आजमगढ के निर्णय के विरूद्ध किसी भी फर्म या ठेकेदार को किसी भी न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का कोई अधिकार नही होगा ।

6–टेण्डर अधोहस्ताक्षरी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ में खोला जायेगा टेण्डर खोलते समय टेण्डरदाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित उपस्थित रह सकते है ।

7–जिस ठेकेदार का टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा उसको स्वीकृत धनराशि का 10प्रतिशत धनराशि धरोहर नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र द्वारा टेण्डर स्वीकृत होने की सूचना के 03 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा ।अन्यथा निविदा निरस्त कर शेष निविदा कर्त्ताओं में से न्यूनतम निविदा प्रस्तुत किये जाने वाले निविदाकर्त्ता की निविदा स्वीकृत कर दी जायेगी ।

8–सम्बन्धित फर्म द्वारा निविदा के साथ स्पेसिफिकेशन उपयोगित सम्पूर्ति गारण्टी/वारण्टी आदि का स्पष्ट विवरण संलग्न कराना होगा ।

9–सम्बन्धित फर्म द्वारा उपकरणों की आपूर्ति पुलिस लाइन में की जायेगी उसका कोई अलग से भुगतान/किराया नही दिया जायेगा ।

10–शासनादेश के अनुसार जिस फर्म का निविदा स्वीकृत होगा उससे,02प्रतिशत की दर से आयकर तथ 05 प्रतिशत की दर व्यापार कर की कटौती की जायेगी जिसे टेण्डरदाता को स्वीकार करना अनिवार्य होगा ।

11–अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम टेण्डर स्वीकार करने के लिए अथवा अस्वीकार करने के लिए कारण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है।

12–उपरोक्त सामग्री को आपूर्ति करते समय सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना होगा सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सामग्री वापस कर दी जायेगी एवं उसके स्थान पर पुनःअच्छी गुणवत की सामग्री आपूर्ति की जानी होगी ।

13–टेक्निकल निविदा व वित्तीय निविदा अलग–2 लिफाफे में रखा जायेगा पहले टेक्निकल निविदा अनुमोदित जिस फर्म का होगा उसी फर्म का वित्तीय निविदा खोला जायेगा ।

14–आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त यदि समय से आपूर्ति नही की जाती है तो सम्बन्धित फर्म की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा तत्समय ही निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।

पत्र संख्याःउ–14/2017
दिनाकःफरवरी 24 2017

पुलिस अधीक्षक
आजमगढ।

प्रतिलिपिः–निम्नाकित को आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार प्रसार करने हेतुः–

1–जिलाधिकारीजनपद आजमगढ,बलिया,मऊ,गाजीपुर,वाराणसी,जौनपुर,मिर्जापुर,सोनभद्र,चन्दौली,संतरविदासनगर,गोरखपुर,देवरिया

2–पुलिस अधीक्षक बलिया मऊ,गाजीपुर ,वाराणसी,जौनपुर,मिर्जापुर,सोनभद्र,चन्दौली,संतरविदासनगर,गोरखपुर,देवरिया।

3–मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ।

4–जिला सूचना अधिकारी आजमगढ को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

4–अध्यक्ष जिला परिषद आजमगढ।

5–अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निमार्ण विभाग आजमगढ ।

6–राजकीय निर्माण निगम आजमगढ ।

7–परियोजना प्रबन्धक जल निगम निर्माण इकाई आजमगढ ।

8–परियोजना निदेशक आजमगढ ।

9–सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण,,हिन्दुस्तान टाइम्स,,अमर उजाला,,सहारा को इस अनुरोध के साथ कि अपने–2 समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं बिल दो प्रतियों में उपलब्ध कराये ताकि भुगतान किया जा सके।

10–सेनानायक20 वी वाहिनी पीएसी आजमगढ ।

11–अपर पुलिस अधीक्षक,ग्रामीण, नगर,यातायात आजमगढ।

12–समस्त क्षेत्राधिकारी आजमगढ ।

13–प्रतिसार निरीक्षक आजमगढ।

14–प्रभारी उ0नि0यातायात आजमगढ ।

15–प्रधानलिपिक पुलिस कार्यालय आजमगढ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करन हेतु ।